मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई, 2014 (19 आषाढ़, शक सम्वत्1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉं. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों (प्रश्न संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16 17, 18, 19, 20 एवं 21) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 88 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 92 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की रतलाम आदि जिलों में टयूबवैल के पानी की जांच की जाने,
(2) डॉ. रामकिशोर दोगने,सदस्य की हरदा जिले के ग्राम पोखरनी (शुक्ल) के छोटे तालाब की शासकीय भूमि पर भवन निर्माण होने,
(3) (इंजी.) प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के खिलाड़ियों के लिये वुडन कोर्ट की छत न होने,
(4) श्री दुर्गालाल विजय,सदस्य की श्योपुर जिले के अनेक ग्रामों में चकबंदी के कारण अभिलेखों के अनुसार काबिज न होने,
(5) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले में बांसखेड़ा से कुम्भपानी तक सड़क निर्माण न होने,
(6) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह, सनावद एवं काटकुट में चिकित्सकों की कमी होने,
(7) श्री जितू पटवारी, सदस्य की मुरैना परिवहन चेक पोस्ट पर वाहन चालकों से जबरन वसूली की जाने,
(8) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य की शहडोल जिले में चिकित्सकों के पद रिक्त होने,
(9) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य की रीवा जिले के अनेक ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लाभ न मिलने तथा
(10) श्री नारायण सिंह पँवार, सदस्य की राजगढ़ जिले में ओला पीड़ित कृषकों को राहत राशि न मिलने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने उनके विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-
(क) क्रमांक एफ ए-3-28-2013-1-पांच (08), दिनांक 1 मार्च, 2014
(ख) क्रमांक एफ ए-3-11-2014-1-पांच (17), दिनांक 26 अप्रैल, 2014
(ग) क्रमांक एफ ए-3-35-2014-1-पांच (27), दिनांक 28 जून, 2014 पटल पर रखीं.

(2) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वित्तीय वर्ष 2013-14 पटल पर रखे.

4. स्वागत – उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री रघुनंदन शर्मा, पूर्व सांसद एवं लोक सभा के माननीय अध्यक्ष एवं बी.पी.एस.टी. के सलाहकार की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

5. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू, देवेन्द्र वर्मा एवं कुंवर सिंह टेकाम, सदस्यगण ने बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र में वन कर्मियों द्वारा आदिवासियों को प्रताड़ित किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री सचिन यादव, डॉ. गोविन्द सिंह एवं सर्वश्री सुन्दरलाल तिवारी, तरूण भनोत, रामनिवास रावत, सदस्यगण एवं सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने जबलपुर मेडिकल कालेज के डीन की संदिग्ध मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा कमण्डल, घण्टी एवं भगवा वस्त्र सदन में लाने तथा श्री बाला बच्चन, सदस्य द्वारा बिना अनुमति उन्हें सदन के पटल पर रखने संबंधी विशेषाधिकार भंग की सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा एवं निर्णय सुरक्षित रखने सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 164 के अंतर्गत दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा कराने तथा विशेषाधिकार समिति को सौंपने संबंधी अनुरोध किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि –

नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य द्वारा सदन में कमण्डल एवं घण्टी लाये जाने और उसका प्रदर्शन कर सदन में अव्यवस्था फैलाये जाने के संबंध में उन्होंने निम्नलिखित सदस्यों की ओर से सदन का विशेषाधिकार भंग किये जाने संबंधी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री
2. डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री
3. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य
4. श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य

अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री की सबसे पहले प्राप्त निम्नलिखित सूचना को पढ़कर सुनाया गया :-

"आज दिनांक 9 जुलाई, 2014 को सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी और आसंदी पर श्री मानवेन्द्र सिंह माननीय सभापति आसीन थे. उस समय जब श्री गिरीश गौतम, माननीय सदस्य अपना भाषण दे रहे थे, तब श्री सत्यदेव कटारे, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भगवा तौलिया ओढ़कर सदन में प्रवेश किया.

श्री बाला बच्चन, माननीय सदस्य ने कमण्डल, घण्टी और भगवा वस्त्र को सदन के पटल पर रखा.

माननीय सभापति/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में यह सब करने से मना भी किया गया.

माननीय श्री कटारे बिना अनुमति के सदन में ये वस्तुएं लेकर आये और उनका प्रदर्शन किया तथा श्री बाला बच्चन द्वारा बिना अनुमति उन्हें सदन के पटल पर रखा गया.

विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में इस तरह से सदन में वस्तुओं को लाना या उनका प्रदर्शन करना वर्जित है. निश्चित रूप से श्री कटारे एवं श्री बाला बच्चन ने जो कृत्य किया है, वह न केवल आपत्तिजनक है, अपितु सदन के विशेषाधिकार को भी भंग करता है.

अत: मैं सर्वश्री कटारे एवं बाला बच्चन के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना देते हुए, उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ"

विशेषाधिकार भंग की सूचना पर निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किए गये :-

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री
(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों द्वारा भोजनावकाश न कर सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री

(अपराह्न 1.13 से 3.06 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(4) श्री शैलेन्द्र जैन
(5) श्री शंकरलाल तिवारी
(6) डॉ. गोविन्द सिंह
(7) श्री जितू पटवारी
(8) श्री रामेश्वर शर्मा
(9) श्री रामनिवास रावत
(10) श्री बाला बच्चन
(11) श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् विशेषाधिकार भंग की सूचना पर अपना निर्णय सुरक्षित रखने संबंधी व्यवस्था दी गई.

7. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति ने शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई, 2014 को आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर चर्चा हेतु निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-11)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	50 मिनट
2.	(क्रमांक-14)	चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी	50 मिनट
3.	(क्रमांक-22)	श्री आरिफ अकील	50 मिनट

श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(2) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(3) श्री गिरीश गौतम (जिला-रीवा)
(4) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(5) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(6) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(7) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(8) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-भोपाल)

9. शासकीय वक्तव्य

श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आवंटित केरवा कोल ब्लाक के विकास हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी गठित करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने –

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014) तथा

(2) मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किये.

11. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए दो सौ इकतीस करोड़, अठहत्तर लाख, पचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय के लिए तीन सौ उनहत्तर करोड़, बासठ लाख, उनहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए पॉच हजार सात सौ उनपचास करोड़, सात लाख, ग्यारह हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 78	सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय के लिए एक सौ चालीस करोड़ रूपये तक की राशि दी जाय.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल
(2) श्री विश्वास सारंग
(3) श्रीमती अर्चना चिटनीस
(4) श्री शैलेन्द्र जैन
(5) कुंवर विक्रम सिंह
(6) श्री रामेश्वर शर्मा
(7) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(8) श्री शंकरलाल तिवारी

सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए.

(9) श्री दुर्गालाल विजय
(10) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन के समय में वृद्धि के विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया गया.)

(11) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
(12) श्री दिलीप सिंह परिहार

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(13) श्रीमती ऊषा चौधरी
(14) श्री बहादुर सिंह चौहान
(15) श्री हरदीप सिंह डंग
(16) श्री चेतन्य कुमार काश्यप
(17) श्री प्रदीप अग्रवाल
(18) श्री सत्यप्रकाश सखवार (एडव्होकेट)
(19) श्री अनिल फिरोजिया
(20) श्री वैल सिंह भूरिया
(21) श्री नारायण सिंह पँवार
(22) श्री देवेन्द्र वर्मा
(23) श्री दिनेश राय 'मुनमुन'

श्री कैलाश विजयवर्गीय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि –

" त्रयोदश विधान सभा के जुलाई, 2011 सत्र में पारित मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. यह विधेयक अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2014 के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है. अनुमति प्राप्त विधेयक का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा. "

अपरान्ह 7.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2014 (20 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 10 जुलाई, 2014